**आपात स्थिति के दौरान इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को विज्ञापन**

5890. **श्री राघवजी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को विज्ञापन न देने की नीति अपनाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उस नीति के लिए कौन जिम्मेदार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्णआडवानी) :** (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, जिसमें एक्सप्रेस ग्रुप के समाचारपत्रों को विज्ञापन बन्द करने के कारण दिए हुए हों । जाहिर है यह राजनीतिक कारणों से किया गया था । इसको तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री की स्वीकृति प्राप्त थी ।

**निर्यातोन्मुखी उद्योगों को अपने विद्युत संयंत्रों की स्थापना की अनुमति दिया जाना**

5891. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ चुने हुए निर्यातोन्मुखी उद्योगों को अपने उपयोग के लिए विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है , और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्योंया है और 1975–76 के दौरान ऐसे उद्योगों के लिए इस प्रकार के संयंत्र लगाने हेतु आयात करने के सम्बन्ध में कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) उद्योगों को सामान्यतया चपटिव विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती । तथापि, जिन उद्योगों में प्रोसेस स्टीम अपेक्षित होती हैं, अथवा जहां ऊष्मा अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उपलब्ध होती है, वंहा समस्त ऊर्जा के पहलूके आधार पर ऐसे उद्योगों में विद्युत उत्पादन की सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है । अवलम्ब रूप में विदेसी डीजल विद्युत उत्पादन सेट स्थापित करने की अनुमति भी उद्योगों को दी जाती है

(ख) वर्ष 1974 के दौरान हुई विद्युत को भारी कमी को ध्यान में रखकर सरकार ने उन वास्तविक उपभोक्ताओं को, जिन्हें उत्पादन के प्रयास को जारी रखने के लिए ऐसे अवलम्ब रूप साधन की आवश्यकता होती है, डीजल विद्युत उत्पादन सेट के आयात के लिए सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था । यह भी बताया गया था कि अवलम्ब रूप डीजल सेटों के आयात की अनुमति मुख्यतः उद्योगों में ऐसे निर्मित प्रवण यूनिटो को दी जाएगी जिनमें विद्युत की लागत कुल उत्पादन लागत का अपेक्षाकृत बहुत छोटा भाग होती है अथवा जहां विद्युत में गतिरोधों अथवा बिजली बन्द होने के परिणाम स्वरूप अर्थ-व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करने वाले उद्योगों में, उत्पादन में भारी हानि होती है । इस सुविधा के अन्तर्गत औद्योगिक यूनिटों को ओर से आयात के लिए आवेदन-पत्र दिसम्बर, 1974 से 30–6–1975 तक मांगे गए थे। 30-6-1975 मांगों के बाद आयात लाइसेंस देने के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया गया। यह स्थितिअभी भी बनी है । दिसम्बर, 1974 तथा जून, 1975 के बीच प्राप्त हुए आवेदनों के सिलसिले में, लगभग 19.90 करोड़ रुपये के आयात को स्वीकृति दी गई थी ;